न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 04/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/05

अपीलान्ट–

1. गुलाबी पुत्री लाखासिंह पत्नी हुकमसिंह जाति रावल निवासी सारण हाल निवासी बना की नाड़ी कालब कलां तहसील रायपुर जिला पाली
2. कंकु पुत्री लाखसिंह पत्नी देवीसिंह जाति रावत निवासी सारण हाल निवासी सायपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
3. सीता पुत्री लाखासिंह पत्नी छोगसिंह जाति रावत निवासी सारण हाल निवासी डोठेला कालब कला तहसील रायपुर जिला पाली
4. केली पुत्री लाखसिंह पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति रावत निवासी सारण हाल निवासी सायपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर
5. वरदीदेवी पुत्री लाखसिंह पत्नी रतनसिंह जाति रावत निवासी सारण हाल निवासी फुलाद तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट–

1. मृतक घीसासिंह पुत्रल लाखासिंह जाति रावत के कायम मुकाम
   1/1 छगनी देवी पत्नी घीसासिंह
   1/2 मोहनसिंह पुत्र घीसासिंह
   1/3 राजुसिंह पुत्र घीसासिंह
   1/4 वीरमसिंह पुत्र घीसासिंह
   1/5 संतोष पुत्री घीसासिंह
   जातिगण रावत निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. लालसिंह पुत्र लाखसिंह जाति रावत निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
3. गुणेशसिंह पुत्र लाखासिंह जाति रावत निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन
4. मृतक चिमनसिंह पुत्र लाखासिंह के कायम मुकाम
   4/1 किशनसिंह पुत्र स्व. चिमनसिंह जाति रावत निवासी सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
5. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर सिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह राजपुरोहित, विनोद सिंह राजपुरोहित।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27/11/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम

अति. जिला कलेक्टर पाली

सारण के नामान्तरकरण संख्या 678 पर पारित स्वीकृति आदेश के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/5, 2 से 4 बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस असालतन/ वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 एवं अपीलाण्ट स्व. लाखासिंह के विधिक उत्तराधिकारी है एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सगे भाई बहन है। ग्राम सारण में स्व. लाखासिंह की खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है, जिस पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त रहा है। अपीलाण्ट् के पिता स्व. लाखासिंह का स्वर्गवास दिनांक 10.07.1985 को हो जाने पर अपीलाधीन आदेश के जरिये सम्पूर्ण आराजी केवल रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष में स्वीकृत किया गया। अपीलाण्ट् ने रेस्पोडेण्ट से जैर आराजी के विधिक हक हिस्सा अनुसार बंटवाड़ा कराने का निवेदन किया था परन्तु रेस्पोडेण्ट ने इससे इंकार कर दिया। अपीलाण्ट को स्व. लाखासिंह के बोरीमादा में भूमि के दस्तावेज प्राप्त होने पर, उनकी अन्य जगह ग्राम सारण में भी भूमि होने की जानकारी हुई, जिस पर दिनांक 26.11.2024 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर पहली बार प्रश्नगत आदेश की जानकारी प्राप्त हुई एवं अन्दर म्याद अपील पेश की। इस तरह हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलाण्ट स्व. लाखासिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान होने से जैर आराजी में हक हिस्से के हकदार होने से अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस पेश कर अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स रेस्पोडेण्ट के किसी भी श्रेणी के रिश्तेदार नहीं है और न ही वे स्व. लाखासिंह की पुत्रियां है और न ही रेस्पोडेण्ट की बहने है एवं न ही अपीलाण्ट्स ने इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किये है। अपीलाण्ट ने अपना पारिवारिक सजरा भी पेश नहीं किया है। जैर अपील करीबन 38 वर्ष बाद पेश की गई है, जो कि पूर्णतया म्याद बाहर है। साथ ही नामान्तरकरण अपील में खातेदारी व बंटवाड अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते। अपीलाण्ट की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने एवं अपील म्याद बाहर होने से जैर अपील खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा ग्राम सारण के नामान्तरकरण संख्या 678 पर पारित स्वीकृति आदेश के विरूद्ध पेश की है परन्तु मूल नामान्तरकरण की प्रति पर स्वीकृति आदेश दिनांक 05.06.1989 अंकित है, जिसे अधिवक्ता प्रार्थी ने सहवन से हुई टंकण त्रुटि मानते हुये वर्ष 1989 समझे जाने का निवेदन किया है अतः न्यायालय की अन्तर्निहित

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

शक्तियों का उपयोग करते हुये उक्त त्रुटि को सद्भाविक टंकण त्रुटि मानते हुये नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश दिनांक 05.06.1987 के स्थान पर दिनांक 05.06.1989 समझी जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अब यदि प्रकरण को गुणावगुण पर देखा जाता है तो हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट्स ने स्वयं को हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. लाखासिंह के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान मानते हुये जैर आराजी में अपने हक अधिकारों के तहत जैर अपील पेश की है जबकि विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स स्व. लाखासिंह की पुत्रियां नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या अपीलाण्ट्स स्व. लाखासिंह की पुत्रियां है ? और क्या अपीलाण्ट्स अपीलाधीन आदेश से जैर आराजी में प्रभावित पक्षकार है ? अपीलाण्ट्स द्वारा यह दावा किया गया कि वह स्व. लाखासिंह की पुत्रीयां है तथा उन्हें उक्त भूमि में उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त है तथापि उनके द्वारा अपने इस दावे के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनका स्व. लाखासिंह से पिता–पुत्री का सम्बन्ध है। प्रश्नगत अपील में अपीलाण्ट ने ऐसे कोई दस्तावेज यथा (जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, विद्यालय की टी.सी., राशन कार्ड, शपथ पत्र, कोई सरकारी दस्तावेज, गवाह, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र और अन्य कोई प्रमाण–पत्र) पेश नहीं किये, जो अपीलाण्ट्स के कथन की पुष्टि कर सके, साथ ही पत्रावली पर भी इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरी ओर, अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया कि अपीलाण्ट्स, स्व. लाखासिंह की पुत्रियां नहीं है तथा अपीलाण्ट्स ने इस आपत्ति का खण्डन करने हेतु कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अपीलाण्ट्स ने स्वयं को पुत्री होने के सम्बन्ध में केवल कथन किया है तथा न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में साक्ष्यों को दो प्रकार से परिभाषित किया गया है, प्रथम दस्तावेजी साक्ष्य एवं द्वितीय मौखिक साक्ष्य। इस मामले में अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता द्वारा स्वयं को लाखासिंह की पुत्रियां होना मौखिक तौर पर बताया है इसके प्रमाणस्वरूप किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विधिनुसार दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्यों पर अधिभावी होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं है। इस सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 के अनुसार "Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist." इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय न्यायिक दृष्टान्त (2011) 12 SCC 220 Rangammal vs Kuppuswani & Anr. के अनुसार "It is the duty of the person who asserts a fact to prove it. A party cannot succeed merely because the opposite party failed to disprove his statement." साथ ही माननीय न्यायालय ने अन्य निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि "Where the claimant fails to produce any cogent evidence or documentary proof in support of his relationship, such claim cannot be accepted merely on oral assertion." अपीलाण्ट्स के केवल मौखिक कथन से उत्तराधिकार का अधिकार सिद्ध नहीं किया जा सकता। जब तक अपीलार्थी अपने सम्बन्ध का दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते, तब तक उनका पुत्री होने का दावा कानूनी दृष्टि से प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतः प्रस्तुत तर्कों के आधार पर साक्ष्यों में अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि अपीलाण्ट्स स्व. लाखासिंह की पुत्रियां है।

अपीलाण्ट अपनी अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहे है, लिहाजा अपीलाण्ट द्वारा सुसंगत दस्तावेजों के आधार पर अपील पुनः पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये हस्तगत अपील गुणावगुण पर विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)